अ0शा0 परिपत्र संख्याः 11/2017

सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

दिनांकःलखनऊ मई 22 ,2017

प्रिय महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने में राज्य विधि अधिकारियों को हो रही कठिनाईयों के समाधान हेतु दिनॉक 18-5-2017 को अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी जिसमें पुलिस एवं अभियोजन के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

2- उक्त बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया :-

(क)अभियुक्तों की तरफ से योजित जमानत प्रार्थना पत्रों में सम्बन्धित थाने से समय से आख्या नहीं प्रस्तुत की जाती जिस कारण मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को जमानत प्रदान कर दी जाती है।

(ख)राज्य सरकार की तरफ से प्रतिशपथ पत्र तैयार कराते समय सम्बन्धित मुकदमों के विवेचक स्वयं न आकर किसी अन्य उपनिरीक्षक को भेज देते हैं जिस कारण प्रतिशपथ पत्र में सही तथ्य मा0 न्यायालय के समक्ष नहीं जा पाते हैं ।

(ग)मा0 न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से योजित प्रतिशपथ पत्र में अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना के दौरान क्या साक्ष्य एकत्रित किये गये हैं उसके बावत विवेचक द्वारा न तो कोई अभिलेख लगाये जाते हैं और न ही प्रतिशपथ पत्र में साक्ष्य अंकित कराया जाता है ।

(घ)अभियुक्तों की तरफ से योजित जमानत प्रार्थना पत्रों में सम्बन्धित थाने से जो आख्या आती है उस पर न तो उनके क्षेत्राधिकारी न तो अपर पुलिस अधीक्षक और न ही एस0पी0ओ0/पी0ओ0 के हस्ताक्षर होते हैं ।

(ड.)अभियुक्तों की तरफ से योजित जमानत प्रार्थना पत्रों में राज्य विधि अधिकारियों द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु कई बार फैक्स किया जाता है परन्तु सम्बन्धित थाने के विवेचक प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, जिस कारण मा0 न्यायालय के समक्ष राज्य विधि अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।

(च)अभियुक्तों की तरफ से योजित कुछ जमानत प्रार्थना पत्रों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा "स्पेसिफिक क्योरी" की जाती है परन्तु विवेचक द्वारा उसका जवाब नहीं दिया जाता जिस कारण मा0 न्यायालय के समक्ष राज्य विधिक अधिकारियों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

3- उल्लेखनीय है कि इस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर आप सभी को मा0 उच्च न्यायालय में पूर्ण एवं स्पष्ट प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने, मा0 न्यायालय में दाखिल किये जाने वाली आख्या का परीक्षण एस0पी0ओ0/पी0ओ0 से कराते हुए राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से दाखिल करने, प्रतिशपथ पत्र सम्बन्धित विवेचक द्वारा स्वयं तैयार कराने सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये जाते रहें हैं परन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण विभाग के समक्ष मा0 न्यायालय में असहज स्थिति उत्पन्न होने के साथ-साथ उसका लाभ अभियुक्त को भी मिल जाता है जो कदापि उचित नहीं है ।

...2पर

4- अतः पुनः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि जमानती प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में आख्या समय से प्रस्तुत की जाय। प्रतिशपथ पत्र सम्बन्धित विवेचक द्वारा स्वयं तैयार कराया जाय और किसी अन्य उपनिरीक्षक को प्रतिशपथ पत्र तैयार कराने हेतु कदापि न भेजा जाय । मा0 न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना के दौरान एकत्रित साक्ष्य अवश्यमेव अंकित किये जायें। जमानती प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली आख्याओं का परीक्षण एस0पी0ओ0/पी0ओ0 से कराने के उपरॉत क्षेत्राधिकारी अथवा अपर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर से ही दाखिल करें तथा जमानती प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में प्रतिशपथ पत्र सम्बन्धित विवेचक के माध्यम से मा0 न्यायालय में निर्धारित समयावधि के भीतर ही अवश्य दाखिल कर दिये जायें । मा0 न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में की जाने वाली पृच्छाओं का विवेचकों द्वारा नियमानुसार स्पष्ट उत्तर दिया जाय जिससे वस्तुस्थिति मा0 न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हो सके ।

5- कृपया अपने अधीनस्थ नियुक्त समस्त अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित करें जिससे राज्य विधि अधिकारियों को मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विभाग का पक्ष रखने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो । यह भी निर्देशित किया किया जाता है कि मुकदमों से सम्बन्धित विवेचकगण स्वयं राज्य विधि अधिकारी(स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता व उनके सहायकगण) से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर प्रतिशपथ पत्र तैयार करायें और अभियुक्त के विरूद्ध संकलित साक्ष्यों(अभिलेखीय, वैज्ञानिक, परिस्थितिजन्य व अन्य महत्वपूर्ण तथ्य) का समावेश कराया जाना सुनिश्चित करें । मासिक अपराध गोष्ठी एवं राजपत्रित अधिकारियों की गोष्ठी में उक्त निर्देशों के त्वरित अनुपालन की महत्ता समझाते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि उक्त निर्देशों की अवहेलना या शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी । इन निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये ।

6- यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय और मा0 न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरणों का नोडल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक 15 दिवस में नियमित समीक्षा कर उनका निस्तारण निर्गत निर्देशों के अनुरूप कराया जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

2/5/17

(सुलखान सिंह)

1-समस्त पुलिस महानिदेशक(नाम से)
उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(नाम से)
उत्तर प्रदेश ।

3-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक(नाम से)
उत्तर प्रदेश ।

4-समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से)
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश ।